उदय शंकर अवस्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 61/2013)

9 जनवरी 2013

डॉ. बी. एस. चौहान और जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधीपतिगण

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 482-एक प्रोपराइटरशिप फर्म और एक कंपनी के बीच अनुबंध की समाप्ति - मध्यस्थता कार्यवाही की शुरूआत कंपनी के अधिकारियों पर कंपनी का आरोप है उन्होंने परिसर में रखी कुछ संपत्ति हटा दी मध्यस्थ ने आरोप खारिज कर दिए। फर्म प्रोपराइटरर्स की तीन शिकायतें खारिज की गई- माननीय न्यायालय द्वारा एक शिकायत पर विचार किया गया - कंननली के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत याचिका खारिज की- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई- अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया की आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है परिवाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं था।

एसएस.468, 469, 472 और 473 -प्रोपराइटरशिप फर्म और कंपनी के बीच अनुबंध की समाप्ति - 15 साल की अवधि के बाद कंपनी के

अधिकारियों के खिलाफ फर्म के प्रोपराइटर द्वारा शिकायत- अभिनिर्धारित किया कि संज्ञान लेने की सीमा 3 साल है- मामले की तथ्य परिस्थिति के अनुसार, कथित अपराध एक सतत अपराध नहीं है, भले ही इसके कारण होने वाला प्रभाव निरंतर हो सकता है- परिसीमा।

धारा 202 (संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित) - यदि अभियुक्त न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, तो अदालत के लिए आदेशिका को स्थगित करना अनिवार्य है - मामले में, मजिस्ट्रेट ने समन जारी करने में त्रुटि की थी क्योंकि आरोपी उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। आपराधिक न्यायशास्त्र -कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत करने पर रोक नहीं लगाता है, यदि पिछली शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया था, या शिकायत की प्रकृति को समझे बिना आदेश पारित किया गया था, या पूरे तथ्य नहीं रखे जा सके, या जहां पहली शिकायत के निपटारे के बाद शिकायतकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता चले - जहां पहले की शिकायत का फैसला मामले पर पूरी तरह विचार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर किया जाता है, तो दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

परिसीमा-परिसीमा कानून -सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत निर्धारित। - धारित का पालनः सीआरपीसी के तहत निर्धारित सीमा का कानून अवश्य देखा जाना चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियो में विलंब क्षमा का

सिद्धांत आपराधिक न्याय प्रणाली के सामान्य नियम पर आधारित है कि 'एक अपराध कभी नहीं मरता'-आपराधिक अदालत न्यायहित में इसके कारणों को दर्ज करते हुए देरी को माफ कर सकती है -आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1973 एसएस 468, 469, 472 और 473-विलंब माफी।

विलंब-आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में देरी का प्रश्न - अपने आप मे शिकायत को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

आपराधिक कानून - निरंतर अपराध' और 'तात्कालिक अपराध' - के बीच अंतर।

इफको द्वारा उस फर्म को दिया गया कार्य अनुबंध, जिसका प्रतिवादी नंबर 2 प्रोपराइटर था, समाप्त कर दिया गया। मामला मध्यस्थ के पास भेजा गया। मध्यस्थ ने प्रतिवादी नंबर 2 के क्लेम को खारिज कर दिया जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उनकी फर्म के गोदाम में रखी गई वस्तुएं, जो इफको के परिसर के भीतर स्थित थीं, इफको के अधिकारियों द्वारा हटा दी गईं। हालाँकि, मध्यस्थ ने कुछ अन्य क्लेमस को में स्वीकार कर लिया। आवेदन पत्र में मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देना अभी भी लंबित है। प्रतिवादी नंबर 2 के भाई ने इफको के अधिकारियों और अपीलकर्ताओं के खिलाफ एसएस के तहत 2 शिकायतें दर्ज अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 406 और 120-बी आईपीसी और अंतर्गत धाराएं क्रमशः

147, 148, 323, 504, 506, 201 और 379 आईपीसी के तहत प्रस्तुत की गई। दोनों शिकायतें खारिज कर दी गईं। प्रतिवादी नंबर 2 ने भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 406 और 120-बी आईपीसी में परिवाद दर्ज करवाया जिसमें पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे थे। प्रतिवादी नंबर 2 ने आईपीसी की धारा 403 और 406 के तहत एक और शिकायत दर्ज की, जिस पर संज्ञान लिया गया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए। अपीलकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जो उच्च न्यायायल द्वारा दी गई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1- अपीलों में, आपराधिक कार्यवाही को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में लेबल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, एक ही विषय वस्तु को अधिनियमित करने के संबंध में रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 उसके भाई द्वारा विभिन्न शिकायत पहले ही दायर किए जा चुके हैं। रेस्पोडेंट जो कि गवाहों की परीक्षा करने के बाद गुणावगुण बर्खास्त कर दिए गए। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में परिवाद प्रकरण चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार, संबंधित मजिस्ट्रेट ने उक्त मामले

पर विचार करके गंभीर त्रुटि की, और संज्ञान गलत लिया है और अपीलकर्ताओं को समन जारी किया।

रवीन्द्र नाथ बोस व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में एआईआर 1970 एससी 470; 1970 (2) एससीआर 697 - अनुसरण किया गया।

उड़ीसा राज्य बनाम श्री प्यारीमोहन सामंताराय और अन्य। एआईआर 1976 एससी 2617 उड़ीसा राज्य आदि बनाम श्री अरुण कुमार पटनायक और अन्य आदि एआईआर 1976 एससी 1639, 1976 (0) सप्ल. एससीआर 59य स्वतंत्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। एआईआर 1997 एससी 2105, 1997 (2) एससीआर 639 श्री कृष्ण नारियल कंपनी आदि बनाम पूर्वी गोदावरी नारियल और तंबाकू बाजार समिति एआईआर 1967 एससी 973; 1967 एससीआर 974 कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। वी. के. थंगप्पन और अन्य। एआईआर 2006 एससी 1581, 2006 (3) एससीआर 783य ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम दुगल कुमार एआईआर 2008 एससी 3000, 2008 (11) एससीआर 369 किशन सिंह (मृत) तृस्ते. बनाम गुरपाल सिंह और अन्य। एआईआर 2010 एससी 3624, 2010 (10) एससीआर 16 पर रिलाय किया।

2. कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते कि पिछली शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या शिकायत की

प्रकृति या पूरे तथ्यों को समझे बिना आदेश पारित किया गया हो और अदालत के समक्ष नहीं रखा जाएगा या जहां शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटान के बाद कुछ तथ्य पता चले, जिससे संतुलन उसके पक्ष में हो सकता था।

शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (2012) 1 एस.सी. 130ः 2011 (13) एस.सी.आर 247, परमाथा नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार एआईआर 1962 एस.सी. 876; 1962 सप्ल. ई एस.सी.आर 297, जतिंदर सिंह और अन्य बनलाम रंजीत कुमार एआईआर 2001 एस.सी. 784, 2001 (1) एस.सी.आर 707, महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी और अन्य एआईआर 2003 एस.सी. 702; 2002 (4) सप्ल. एस.सी.आर. 566, पूनम चंद जैन और अन्य बनाम फजरू ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 38, 2004 (5) सप्ल. एस.सी.आर 5425 रिलाय पर

3.1. किसी उचित कारण के लिए, या यहां तक कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए देर से अदालत का दरवाजा खटखटाना, हमेशा से ही इसे अस्वीकार करने का एक अच्छा आधार माना गया है। यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है और उसे सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, और ऐसा आदेश पीड़ित व्यक्ति को सूचित कर दिया जाता है, तो बार-बार अभ्यावेदन करने

से पक्षकार देरी की व्याख्या करने में सक्षम नहीं होगी। (पैरा 28 (958-बी-डी))

3.2. धारा 468 सी.आर.पी.सी. इसमें दी गई परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद अदालत को किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोक लगाती है। धारा 469 बताती है कि परिसीमा की अवधि कब शुरू होती है। धारा 473 अदालत को विलंब को माफ करने में सक्षम बनाती है, बशर्ते कि अदालत अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो, और न्यायहित में, परिसीमा की अवधि के विस्तार की आवश्यकता हो। विलंब माफी का सिद्धांत आपराधिक न्याय प्रणाली के सामान्य नियम पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि अपराध कभी खत्म नहीं होता है, जैसा कि कानूनी कहावत के माध्यम से समझाया गया है, नल्लम टेम्पस ऑट लोकस ऑक्यूरेटि रेगी (परिसीमा की अवधि व्यतित हो जाना) अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने में क्राउन पर बाधा नहीं)। एक आपराधिक अपराध को राज्य और पूरे समाज के खिलाफ गलत माना जाता है, भले ही वह अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो। (पैरा 6, 948-डी-जी)

3.3. आपराधिक मुकदमा शुरू करने में देरी का सवाल एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसे अंतिम निर्णय पर पहुंचते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, हालांकि, यह शिकायत को शुरुआत में ही खारिज करने

का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, परिसीमा के मुद्दे की जांच संबंधित आरोप की गंभीरता के आलोक में की जानी चाहिए। (पैरा 7, 948-जी-एच, 949-ए)

जापानी साहू. वी. चंद्र शेखर मोहंती एआईआर 2007 एससी 2762, 2007 (8) एससीआर 582, सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2010) 9 एससीसी 368, 2010 (11) एससीआर 669, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा और अन्य एआईआर 2011 एससी 2112, 2011 (8) एससीआर 25, महाराष्ट्र राज्य बनाम शरद चंद्र विनायक डोंगरे और अन्य एआईआर 1995 एससी 231, 1994 (4) पूरक एससीआर 378, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्त और अन्य. एआईआर 2000 एससी 297;1999 (4) पूरक। एससीआर 514- पर निर्भर किया।

3.4. धारा 472 सी.आर.पी.सी. प्रावधान करती है कि निरंतर अपराध की जारी रहने वाले स्थिति में परिसीमा की एक नई अवधि शुरू होती है। वह समयावधि प्रत्येक क्षण पर चलती रहती है, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है। (पैरा 10) (949 ई-एफ)

3.5. निरंतर जारी रहने वाले अपराध के मामले में, अपराध के घटक जारी रहते है, यानी समाप्ति की अवधि के बाद भी बनी रहती है, जबकि तात्कालिक अपराध में, अपराध एक बार और सभी के लिए होता है यानी

जब वह वास्तव में होता है। ऐसे मामलों में, कोई अपराध जारी नहीं रहता, भले ही क्षति से होने वाला नुकसान जारी रह सकता है।

बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे और अन्य बनाम श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य एआईआर 1959 एससी 798 ;1959 सप्ली. एससीआर 476; गोकक पटेल वोल्कार्ट लिमिटेड बनाम डुंडय्या गुरुशिद्दैया हिरेमथ और अन्य (1991) 2 एससीसी 141;1991 (1) एससीआर. 396; बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी और अन्य एआईआर 1973 एससी 908ः 1973 (3) एससीआर 1004; भागीरथ कनोरिया और अन्य बनाम म.प्र. राज्य एआईआर 1984 एससी 1688;1985 (1) एससीआर 626; अमृतलाल चुम बनाम देवोप्रसाद दत्ता रॉय एआईआर 1988 एससी 733;1988 (2) एससीआर 783; मैसर्स रेमंड लिमिटेड और अन्य बनाम मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड और अन्य एआईआर 2001 एससी 238ः 2000 (4) सप्ली. एससीआर 668; शंकर दस्तीदार बनाम श्रीमती बंजुला दस्तीदार और अन्य, एआईआर 2007 एससी 514; 2006 (10) सप्ली. एससीआर 101 पर भरोसा किया।

3.6. सीआरपीसी की धारा 468 के प्रावधानों के अनुसार वह सीमा अवधि जिसके भीतर संज्ञान लिया जाना चाहिए। तीन साल है. तात्कालिक अपराध के मामले में, सीआरपीसी की धारा 469 के प्रावधानों के अनुसार, परिसीमा की अवधि अपराध की तारीख से शुरू होती है। वर्तमान मामले में,

माना जाता है कि, उक्त फर्म का दावा उच्च न्यायालय के दिनांक 25.5.2001 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 15.10.2001 के एक मौखिक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और उक्त आदेश पत्र दिनांक 29.10.2001 के माध्यम से सूचित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने अपराध की प्रकृति को सही ढंग से समझा और इसलिए, बाद में इसके लिए उच्च न्यायालय की शरण ली। बकाया राशि की वसूली की मांग के उद्देश्य से, जिसमें उच्च न्यायालय ने उन्हें पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते के तहत उपलब्ध उपाय अपनाने का निर्देश दिया। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, इसमें शामिल अपराध को संभवतः निरंतर अपराध नहीं कहा जा सकता है।

अरुण व्यास एवं अन्य बनाम अनीता व्यास एआईआर 1999 एससी 2071, 1999 (3) एससीआर 719 रमेश और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 2005 एससी 1989, 2005 (2) एससीआर 493 पर भरोसा किया गया।

4. मजिस्ट्रेट ने, तत्काल मामले में, सीआरपीसी की धारा 202 की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किए बिना समन जारी किया, हालांकि अपीलकर्ता उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। सीआरपीसी की धारा 202 के प्रावधान में 2005 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधन किया गया, जिससे उस प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना अनिवार्य हो

गया जहां अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी क्षेत्र में रहता है। निर्दोष व्यक्तियों को बेईमान व्यक्तियों द्वारा परेशान किए जाने से बचाने के लिए इसे आवश्यक पाया गया और मजिस्ट्रेट के लिए मामले की स्वयं जांच करना या किसी पुलिस अधिकारी या उसके जैसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देना अनिवार्य बना दिया गया। ऐसे मामलों में समन जारी करने से पहले यह पता लगाना उचित है कि आरोपी के खिलाफ आगे कार्यवाही बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं।

शिवजी सिंह बनाम नागेन्द्र तिवारी एवं अन्य एआईआर 2010 एससी 2261;2010 (7) एससीआर 667, नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम, बराकरा, अब्दुल अजीज और अन्य। जेटी 2012 (12) एससी 432- पर भरोसा किया गया।

कानून के संदर्भ में

2007 (8) एससीआर 582	संदर्भित किया	पैरा 7
2010 (11) एससीआर 669	संदर्भित किया	पैरा 7
2011 (8) एससीआर 25	संदर्भित किया	पैरा 7
1994 (4) पुरक एससीआर 378	संदर्भित किया	पैरा 8
1999 (4) पुरक एससीआर 514	संदर्भित किया	पैरा 8
1959 पुरक एससीआर 476	संदर्भित किया	पैरा 8

1991 (1) एससीआर 396	संदर्भित किया	पैरा11
1973 (3) एससीआर 1004	संदर्भित किया	पैरा12
1985 (1) एससीआर 626	संदर्भित किया	पैरा13
1988 (2) एससीआर 783	संदर्भित किया	पैरा13
2000 (4) पुरक एससीआर 668	संदर्भित किया	पैरा13
2006 (10) पुरक एससीआर 101	संदर्भित किया	पैरा14
2011 (13) एससीआर 247	संदर्भित किया	पैरा15
1962 पुरक एससीआर 297	संदर्भित किया	पैरा17
2001 (1) एससीआर 707	संदर्भित किया	पैरा17
2002 (4) पुरक एससीआर 566	संदर्भित किया	पैरा17
2004 (5) पुरक एससीआर 525	संदर्भित किया	पैरा17
2010 (7) एससीआर 667	संदर्भित किया	पैरा17
जेटी 2012 (12) एससी 432	संदर्भित किया	पैरा26
1999 (3) एससीआर 719	संदर्भित किया	पैरा26
2005 (2) एससीआर 493	संदर्भित किया	पैरा 27
1970 (2) एससीआर 697	संदर्भित किया	पैरा 27
एआईआर 1976 एससी 2617	संदर्भित किया	पैरा 29
1976 (0) पुरक एससीआर 59	संदर्भित किया	पैरा 30
1997 (2) एससीआर 639	संदर्भित किया	पैरा 30
1967 एससीआर 974	संदर्भित किया	पैरा 31

2006 (3) एससीआर 783	संदर्भित किया	पैरा 31
2008 (11) एससीआर 369	संदर्भित किया	पैरा 31
2010 (10) एससीआर 16	संदर्भित किया	पैरा 32, 33

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 61/2013

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद आपराधिक विविध का आवेदन क्रमांक 41827/2011 में के निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.03.2012 से।

सी.आर.एल. ए.सं. 62/ 2013

मुकुल रोहतगी, नागेन्द्र राय, अभय कुमार, उपेन्द्र प्रताप सिंह, विनीत क्र अपीलकर्ता की ओर से सिंह, नीतू जैन

प्रतिवादी की ओर से गौरव भाटिया, एएजी, देवव्रत, शालिनी कुमार, अनुव्रत शर्मा, गौतम तालुकदार।

न्यायालय का निर्णय डॉ बी.एस. चौहान, जे. द्वारा सुनाया गया

1. इन दोनों अपीलों को आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 13.3.2012 के खिलाफ दायर किया गया है। 2011 का आवेदन संख्या 41827, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने शिकायत मामले संख्या 628 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके

बाद 'सी.आर.पीसी.' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया है। 2011 (सुधा कांत पांडे बनाम के.एल. सिंह और अन्य) भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 403 और 406 के तहत।

2.- इन अपीलों को उत्पन्न करने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ हैंः

मैसर्स. मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज, जिसके प्रतिवादी नंबर 2, सुधा कांत पांडे होने का दावा करते हैं। मालिक को मेसर्स द्वारा कार्य आदेश दिया गया था। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (बाद में इसे ''इफको कहा जाएगा), फूलपुर इकाई ने 1.2.1996 को अपने संयंत्र में मरम्मत के उद्देश्य से रु. 13,88,750/- उक्त कार्य आदेश बाद में 7.2.1996 को इफको द्वारा रद्द कर दिया गया।

व्यथित, मै. मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज ने इफको को दिना क 21.3.2001 को एक अभ्यावेदन देकर कथित तौर पर उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान करने का अनुरोध किया था। चूंकि इफको के प्रबंधन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उक्त कंपनी ने 2001 की रिट याचिका संख्या 19922 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसमें कथित तौर पर 22,81,530.22 रुपये की राशि किया गया के भुगतान के कार्य लिए इफको को निर्देश देने की मांग की गई।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.5.2001 के आदेश के तहत उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें इफको को उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.3.2001 के अभ्यावेदन को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय के दिनांक 25.5.2001 के आदेश के अनुसरण में, उक्त अभ्यावेदन दिनांक 21.3.2001 पर इफको के प्रबंध निदेशक द्वारा विचार किया गया था और दिनांक 15.10.2001 के स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से इसे खारिज कर दिया गया था, और इसे संबंधित पत्र दिना ांक 29.10.2001 के द्वारा उक्त सूचित किया गया था।

मैसर्स. मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज ने उक्त राशि की वसूली के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की रिट याचिका संख्या 7231 दायर की, जिसे 20.2.2002 के आदेश के तहत निपटाया गया। उपरोक्त कार्य आदेश के अनुसरण में निष्पाादित समझौता के अतंर्गत निहित मध्यस्थता खण्ड के तहत उपाधार प्राप्त करने के निर्देश के साथ।

मैसर्स. मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज ने 24.5.2002 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम 1996' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता आवेदन वर्ष 2002 संख्या 24 दायर की, जिसमें एक माध्यस्थम की नियुक्ति की प्रार्थना की गई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थ की नियुक्ति के उद्देश्य से उक्त संस्था द्वारा किए गए

आवेदन को इफको ने समयबाधित होने के कारण खारिज कर दिया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.10.2003 के फैसले और आदेश के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त किया। हालाँकि, उक्त मध्यस्थ ने काम करने में असमर्थता व्यक्त की। इस प्रकार, दिनांक 13.2.2004 के आदेश के तहत एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

मै. मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज ने कई बार क्लेम याचिका दायर की, जिसमें इफको परिसर के भीतर उनके गोदाम से कथित तौर पर वस्तुओं को हटाने के लिए 9,27,182/- रुपये की राशि भी शामिल है।

इस प्रकार नियुक्त विद्वान मध्यस्थ ने बड़ी संख्या में मुद्दे तय किए और विशेष रूप से मेसर्स के गोदाम से वस्तुओं को कथित तौर पर हटाने के दावे को खारिज कर दिया। मनीष एंटरप्राइजेज, इफको परिसर के भीतर स्थित है (विवाद संख्या 13), हाला ंकि उन्होंने दिनांक 11.3.2007 के पुरस्कार के तहत कुछ अन्य दावों को स्वीकार कर लिया।

इफको ने जिला न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दिनांक 11.3.2007 के पुरस्कार को रद्द करने के उद्देश्य से अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया और मामला विचाराधीन है।

प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता के भाई श्री सभा कांत पांडे ने 23.11. 2009 को धारा 323, 504, 506, 406 और 120-बी आईपीसी के तहत इफको के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मामला संख्या

4948/2009 दायर किया था। विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की अदालत। वहीं, उक्त शिकायतकर्ता सहित कुछ गवाहों से पूछताछ की गयी।

प्रतिवादी नंबर 2 के भाई सभा कांत पांडे ने अपीलकर्ताओं और अन्य के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 504, 506, 201 आ ैर 379 आईपीसी के तहत 2009 का एक और शिकायत मामला संख्या 26528 दायर किया। उक्त शिकायत में, प्रतिवादी नंबर 2 के भाई से गवाह के रूप में अन्य लोगों के साथ पूछताछ की गई।

शिकायत प्रकरण क्रमांक. 2009 के 4948 को विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित मौखिक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था आदेश दिनांक 20.3.2010 अंतर्गत धारा 203 सीआर.पी.सी के द्वारा।

प्रतिवादी नंबर 2 ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष धारा 323, 504, 506, 406 और 120-बी आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं और अन्य के खिलाफ 2.4.2010 को आपराधिक शिकायत संख्या 1090/2010 दायर की। मामले की जांच के बाद, पुलिस ने 18.4.2010 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि, वर्ष 2010 की शिकायत मामले संख्या में लगाए गए आरोप झूठे थे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 18.8.2011 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के भाई द्वारा दायर किया गया शिकायत प्रकरण क्रमांक 26528/2009 खारित कर दिया।

प्रतिवादी नंबर 2 ने एक और परिवाद मामला नंबर 628/2011 दिनांक 31.5.2011 को धारा 403 एवं 406 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया। जिसमें संज्ञान लेते हुए वर्तमान अपीलार्थियों को दिनांक 16.7.2011 को धारा 403 एवं 406 आईपीसी के अंतर्गत समन जारी किये गये तथा आदेश दिनांक 22.9. 2011 द्वारा जमानती वारंट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये। इसके बाद, दिनांक 21.11. 2011 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं में से एक के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए थे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि के.एल. सिंह, संबंधित अपील में अपीलकर्ता, को सही पता नहीं दिए जाने के कारण ठीक से तामील नहीं किया जा सका, अनुरोध करने पर अपर सीजेएम ने 17.12.2011 को गैर जमानती वारंट वापस ले लिये।

व्यथित अपीलकर्ताओं ने उक्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष, आपराधिक विविध प्रा. पत्र सं. 41827/2011 अंतर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. दायर की। जिसे आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अपील के तथ्य

3. श्री मुकुल रोहतगी और श्री नागेन्द्र राय अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उसी विषय वस्तु के संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 के भाई द्वारा दायर शिकायत मामले को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिए गए था, इसलिए नई शिकायत पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर शिकायत मामले के लंबित रहने के दौरान किसी नई शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसके संबंध में पुलिस ने इसे झूठी शिकायत बताते हुए अंतिम रिपोर्ट दायर की है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया था, जैसा कि 2011 के शिकायत मामले संख्या 628 में, पहले की शिकायत को खारिज करने का खुलासा नहीं किया गया था। इसके अलावा, चूंकि मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसी विषय वस्तु के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है, और इस संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 का दावा पहले ही खारिज कर दिया गया है। मध्यस्थ द्वारा उक्त मामले में आपराधिक कार्यवाही को स्वीकार कर जारी रखना, स्पष्ट रूप से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके अलावा, कथित दावा 1996 की अवधि से संबंधित है। 15 साल की अवधि के बाद की गई शिकायत धारा 468 सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा वर्जित है, और उच्च न्यायालय ने इसे निरंतर जारी रहने वाला अपराध मानने में गलती की है।

चूंकि, उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.5.2001 के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 2 दिनांक 21.3.2001 का प्रतिनिधित्व प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा आदेश दिनांक 15.10.2001 के तहत तय किया गया था, परिसीमा अवधि उक्त तिथि से शुरू हुई आदेश, या अधिकतम 29.10.2001 से, यानी वह तारीख, जिस दिन अस्वीकृति का आदेश सूचित किया गया था। आपराधिक कार्यवाही की शुरूआत और कुछ नहीं बल्कि आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके निराश वादी द्वारा अपनी हताशा को उजागर करने का एक प्रयास है और इस प्रकार, कार्यवाही रद्द होने योग्य है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री देवरत ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि यह वास्तव में जारी रहने वाले अपराध का मामला था। अतः परिसीमा का प्रश्न ही नहीं उठता। कानून आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर रोक नहीं लगाता है न्यास भंग हुआ है और इसके अलावा, ऐसे मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित है, एक आपराधिक शिकायत सुनवाई योग्य है, और संबंधित अदालत ने उस पर उचित रूप से विचार किया है। दूसरा आवेदन जारी रखने के संबंध में कानून में कोई रोक नहीं है, भले ही पहला आवेदन खारिज कर दिया गया हो। अतः अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील के साथ-साथ यूपी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव भाटिया और श्री अन्नुरत द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। और रिकार्ड का अवलोकन किया। इन मामलों के तथ्यों के आलोक में, पहले इसमें शामिल कानूनी मुद्दों से निपटना वांछनीय है।

आपराधिक मामलों में धारा 468 सीआरपीसीः

6. धारा 468 सी.आर.पी.सी. इसमें प्रदान की गई परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेने स े अदालत पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 469 बताती है कि परिसीमा की अवधि कब शुरू होती है। धारा 473 अदालत को देरी को माफ करने में सक्षम बनाती है, बशर्ते कि अदालत अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो, और जहां, न्याय के हित में, सीमा की अवधि के विस्तार की आवश्यकता हो। देरी की माफी का सिद्धांत आपराधिक न्याय प्रणाली के सामान्य नियम पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि अपराध कभी खत्म नहीं होता है, जैसा कि कानूनी कहावत के माध्यम से समझाया गया है, नल्लम टेम्पस ओक्यूरिट रेगी (समय का व्यतीत होना) अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से क्राउन पर कोई बाधा नहीं लगाता)। एक आपराधिक अपराध को राज्य और पूरे समाज के खिलाफ

गलत माना जाता है, भले ही वह अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो।

7. आपराधिक मुकदमा शुरू करने में देरी का सवाल एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसे अंतिम निर्णय पर पहुंचते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, हालाँकि, यह शिकायत को शुरुआत में ही खारिज करने का आधार न बनें। इसके अलावा, परिसीमा के मुद्दे की जांच संबंधित आरोप की गंभीरता के आलोक में की जानी चाहिए। (जापानी साहू बनाम चंद्र शेखर मोहंती, एआईआर 2007 एससी 2762 सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2010) 9 एससीसी 368 और नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा और अन्य, एआईआर 2011 एससी 2112)

8. देरी को माफ करते समय अदालत को अपनी संतुष्टि के कारणों को दर्ज करना होगा, और इसे अदालत के आदेश में भी प्रकट किया जाना चाहिए। अदालत को इस तरह की देरी को माफ करते हुए अपने निष्कर्ष में यह भी बताना होगा कि न्याय के हित में ऐसी माफी आवश्यक है। (महाराष्ट्र राज्य बनाम शरद चंद्र विनायक डोंगरे और अन्य, एआईआर 1995 एससी 231 और एच.पी. राज्य बनाम तारा दत्त और अन्य, एआईआर 2000 एससी 297)।

9. संक्षेप में, सीआरपीसी के तहत निर्धारित परिसीमा के कानून का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में, आरोप

की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय देरी को माफ कर सकता है, इसके लिए कारण दर्ज कर सकता है। ऐसी स्थिति में न्याय के हित में इस तरह की देरी को माफ करना आवश्यक पाया जाता है।

लगातार अपराधः

10. धारा 472 सी.आर.पी.सी. यह प्रावधान करता है कि अपराध जारी रहने की स्थिति में, अपराध जारी रहने की समय अवधि के प्रत्येक क्षण पर परिसीमा की एक नई अवधि शुरू हो जाती है। सीआरपीसी में 'लगातार अपराध' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क्योंकि यह उन अभिव्यक्तियों में से एक है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, और इसलिए, इस संबंध में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का सूत्र तैयार नहीं किया जा सकता है।

11. बालकृष्ण सवलराम पुजारी वाघमरे और अन्य बनाम श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य में अक्सर देखा गया कि निरंतर अपराध एक ऐसा कार्य है जो क्षति का एक निरंतर स्रोत बनाता है, और उस कार्य के कर्ता को उक्त क्षति की निरंतरता के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है। यदि किसी गलत कार्य के कारण पूर्ण क्षति होती है, तो कोई भी गलत कार्य जारी नहीं रहेगा, भले ही उक्त कार्य से होने वाली क्षति जारी रह सकती है। यदि गलत कार्य इस प्रकार का है कि उससे होने वाली क्षति

स्वयं जारी रहती है, तो उक्त कार्य निरंतर चलने वाला गलत कार्य है। इसलिए दोनों गलतियों के बीच अंतर क्षति के प्रभाव पर निर्भर करता है। उक्त मामले में, अदालत ने जबरन निष्कासन के एक गलत कार्य के मामले पर विचार किया और माना कि परिणामी क्षति, निष्कासन की तारीख पर ही पूरी हो गई थी, और इसलिए धारा 23 के आवेदन में उक्त मामले के संबंध में परिसीमा अधिनियम में कोई गुंजाइश नहीं थी।

12. गोकक पटेल वोल्कार्ट लिमिटेड बनाम दुंदय्या गुरुशिद्दैया हिरेमथ और अन्य, (1991) 2 एससीसी 141 में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे से निपटा और निम्नानुसार निर्णय लियाः

> ''ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, पांचवें संस्करण के अनुसार, 'जारी रखना' का अर्थ है 'स्थायी रहना या किसी एक कार्य या तथ्य से समाप्त नहीं होना या एक निश्चित अवधि के लिए अस्तित्व में रहना या क्रमिक समान दायित्वों या घटनाओं को कवर करने या लागू करने का इरादा।' निरंतर अपराध का अर्थ है 'एक प्रकार का अपराध जो एक निश्चित समयावधि में किया जाता है।' किसी निरंतर अपराध में परिसीमा की अवधि के संबंध में, अपराध का अंतिम कार्य अवधि की शुरुआत को नियंत्रित करता है। 'एक सतत अपराध, जैसे कि परिसीमा के कानून की अवधि के भीतर

केवल उसके अंतिम कार्य को ही इसमें आरोपित करने की आवश्यकता होती है अभियोग या सूचना, वह है जिसमें अलग-अलग कार्य या आचरण का एक क्रम शामिल हो सकता है लेकिन जो विचार, उद्देश्य या कार्रवाई की उस एकलता से उत्पन्न होता है जिसे एक ही आवेग माना जा सकता है।' इसी प्रकार 'निरंतर अपराध' का अर्थ है, ''जिसमें कृत्यों की एक सतत श्रृंखला शामिल है, जो समाप्ति की अवधि के बाद भी जारी रहती है, जैसे, छुपाए हुए हथियार ले जाने का अपराध। तात्कालिक अपराधों के मामले में, कानून परिसीमन समाप्ति के साथ शुरू होता है, जबकि निरंतर अपराधों के मामले में यह केवल आपराधिक आचरण या कार्य की समाप्ति के साथ शुरू होता है।''

13. गोकक पटेल वोल्कार्ट लिमिटेड (सुप्रा) में मामले का फैसला करते समय, इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी और अन्य, एआईआर 1973 एससी 908 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत द्वारा मामले का निपटारा करते समय किसी अपराध की निरंतरता को निम्नानुसार माना

''एक निरंतर अपराध वह है जो निरंतरता के लिए अतिसंवेदनशील है और जो एक बार और हमेशा के लिए

किया जाता है उससे अलग होता है। यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या उसकी आवश्यकता का पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें शामिल होता है एक दंड, जिसका दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक कि नियम या उसकी आवश्यकता का पालन या अनुपालन नहीं किया जाता है। प्रत्येक अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा या गैर-अनुपालन होता है और पुनरावृत्ति होती है, तो अपराध किया जाता है। दो प्रकार के अपराधों के बीच अंतर है एक कार्य या चूक जो एक बार और सभी के लिए अपराध बन जाती है और एक कार्य या चूक जो जारी रहती है और इसलिए, हर बार या अवसर पर एक नया अपराध बन जाती है जब यह जारी रहता है। निरंतर अपराध के मामले में, इस प्रकार निरंतरता का घटक होता है उस अपराध का जो किसी अपराध के मामले में अनुपस्थित है जो तब होता है जब कोई कार्य या चूक एक बार और हमेशा के लिए की जाती है।

(भागीरथ कनोरिया और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1984 एससी 1688, और अमृत लाल चुम बनाम देवोप्रसाद दत्त रॉय, एआईआर 1988 एससी 733)।

14. मैसर्स रेमंड लिमिटेड और अन्य, आदि आदि बनाम मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड और अन्य, आदि, एआईआर 2001 एससी 238, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया-

> ''यह वैध रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि ''निरंतर'' शब्द का केवल एक निश्चित अर्थ है समय क्रम या सार में अविच्छिन्नता और दूसरी ओर इसी शब्द का अर्थ 'बार-बार अंतराल पर आवर्ती होना भी होगा। इसके अलावा, विशेषण के रूप में इस्तेमाल होने पर यह संदर्भ से भी रंग लेता है।''

15. शंकर दस्तीदार बनाम श्रीमती बंजुला दस्तीदार एवं अन्य, एआईआर 2007 एससी 514, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखाः

> ''हमारी राय में, नुकसानी के लिए दावा, संपत्ति में किसी के अधिकार के आनंद के संबंध में लगातार हो रही गलती के मुकाबले एक अलग स्तर पर खड़ा है। जब एक निश्चित भूमि पर रास्ते के अधिकार का दावा किया जाता है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। टोर्ट-टीजर को कब्जे का कोई अधिकार नहीं है, उल्लंघन जारी रहेगा। हालांकि, यह निर्विवाद है कि जब तक गलत जारी नहीं होता है, सीमा की अवधि चलना बंद नहीं होती है। एक बार अवधि चलना शुरू

हो जाती है, तो यह बंद नहीं होती है सिवाय इसके कि जहां परिसीमा अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागू होंगे।''

न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया-

''परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 68, 69 और 91 चल संपत्ति के संबंध में मुकदमों को नियंत्रित करते हैं। चोरी या बेईमानी से दुरूपयोग या रूपातंरण द्वारा खोई या अर्जित विशिष्ट चल संपति के लिए धारा 68 के तहत पक्षकार को कब्जे का ज्ञान परिसीमा प्रांरभ होने का प्रारंभिक बिंदू होगा। किसी भी अन्य विशिष्ट चल संपत्ति के लिए, जिस समय से अवधि शुरू होती है वह तब होगी जब संपत्ति गलत तरीके से ली गई हो, अनुच्छेद 69 के संदर्भ में। अनुच्छेद 91 किसी अन्य विशिष्ट चल संपत्ति को गलत तरीके से लेने या क्षति करने या गलत तरीके से हिरासत में रखने के लिए मुआवजा के लिए मुकदमा करने के संबंध में परिसीमा अवधि का प्रावधान करता है। जिस समय से अवधि शुरू होती है वह तब होगी जब संपत्ति गलत तरीके से ली जाती है या क्षति हो जाती है या जब हिरासत में लेने वाले का कब्जा गैरकानूनी हो जाता है।''

16. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि, जारी अपराध के मामले में, अपराध घटक जारी रहते हैं, यानी समाप्ति की अवधि के बाद भी बनी रहती है, जबकि एक तात्कालिक अपराध, अपराध एक बार और हमेशा के लिए घटित होता है अर्थात जब वही वास्तव में घटित होता है। ऐसे मामलों में, कोई अपराध जारी नहीं रहता, भले ही नुकसानी से होने वाली क्षति जारी रह सकती है।

उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद पोषणीयताः

17. शिव शंकर में मौजूदा मुद्दे पर विचार करते हुए शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2012) 1 एससीसी 130, यह न्यायालय, अपने पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद प्रमाथा नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार एआईआर 1962 एससी 876, जतिन्दर सिंह एवं अन्य। बनाम रंजीत कौर एआईआर 2001 एससी 784, महेश चंद वी बी. जनार्दन रेड्डी एवं अन्य, एआईआर 2003 एससी 702, पूनम चंद जैन एवं अन्य. बनाम फजरू एआईआर 2005 एससी 38 से

> ''यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरा परिवाद दर्ज करने या उस पर विचार करने पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते कि पहले परिवाद का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या परिवाद की प्रकृति या परिवाद

की प्रकृति को समझे बिना आदेश पारित किया गया हो। पूरे तथ्य अदालत के समक्ष नहीं रखे जा सके या जहां परिवादकर्ता को पहले परिवाद के निपटान के बाद कुछ तथ्य पता चले, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक सकता था। हालाँकि, दूसरा परिवाद सुनवाई योग्य नहीं होगा, जिसमें पहले की शिकायत का निपटारा हो चुका हो। शिकायतकर्ता के मामले पर गुण-दोष के आधार पर पूर्ण विचार किया जाएगा।''

18. वर्तमान अपीलों का निर्णय यहां ऊपर उल्लिखित कानूनी प्रस्तावों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। शिकायत केस नंबर 4948/ 2009 प्रतिवादी नंबर 2 के भाई सभा कांत पांडे द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था फर्म में भागीदार मेसर्स मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज ने अपीलकर्ताओं में से एक और इफको के अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन फूलपुर, जिला इलाहाबाद में धारा 323, 504, 506, 406 और 120 बी आईपीसी के तहत आरोप लगाया कि उक्त फर्म इफको परिसर के भीतर एक अलग गोदाम कार्यालय दिया गया, जिसमें उनके 30-40 लाख रुपये मूल्य के सामान, साथ ही उनके दस्तावेज रखे गए थे। शिकायतकर्ता को उन्हें हटाने की अनुमति नहीं दी गई और इसके अलावा, कुछ तकनीकी आधारों पर फर्म द्वारा किए गए काम का भुगतान भी नहीं किया गया। अपीलकर्ता श्री यू.एस.अवस्थी सहित इफको के

अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और 30-40 लाख रुपये मूल्य की उक्त वस्तुएं, साथ ही संयंत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रवेश द्वार पास के अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। शिकायतकर्ता और उसके भाई सुधाकांत (यहां प्रतिवादी संख्या 2), इसलिए उनके लिए उनके गोदाम तक पहुंचना असंभव हो गया है।

19. सक्षम न्यायालय द्वारा शिकायत का उचित निपटारा किया गया, जिसमें वर्तमान शिकायतकर्ता से भी अभियोजन गवाह के रूप में पूछताछ की गई। न्यायालय ने बकाया भुगतान के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने के तथ्य पर ध्यान दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भुगतान प्राप्त करने के लिए इफको पर दबाव डालने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया।

20. 2009 का शिकायत केस नंबर 26528 तब प्रतिवादी नंबर 2 के भाई सभाकांत पांडे द्वारा अपीलकर्ताओं में से एक और इफको के अन्य अधिकारियों के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 504, 506, 201 और 379 आईपीसी के तहत दायर किया गया था। पुलिस स्टेशन फूलपुर, इलाहाबाद में भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए बकाया राशि का पूरा विवरण दिया गया है। उस शिकायत को सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया और निपटाया गया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इफको के अधिकारियों द्वारा

एक क्रॉस-शिकायत की गई थी, जिसमें इस आशय के आरोप लगाए गए थे कि 19.12.2008 को केस नंबर में मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी। 2007 का 1, इलाहाबाद के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यस्थ के आवास पर हुआ उच्च न्यायालय, जिसमें सभा कांत पांडे और सुधा कांत पांडे ने मध्यस्थ के साथ दुर्व्यवहार किया, और इसलिए उन्हें मामले की सुनवाई स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद, वे उनके घर के सामने खड़े हो गए और नारे लगाए, इफको के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें पीटने की भी कोशिश की। अदालत ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करने के बाद उक्त शिकायत को खारिज कर दिया।

> ''अदालत की राय में, सभाकांत पांडे द्वारा दायर की गई शिकायत काल्पनिक है, अवैध दबाव डालने और शिकायत में भौतिक तथ्यों को दबाने के इरादे से एक बेबुनियाद कहानी है।''

21. शिकायत संख्या 1090/2010 वर्तमान परिवादी, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता उदय शंकर अवस्थी और इफको के अन्य अधिकारियों के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 406 और 120 बी आईपीसी के तहत दायर की गयी। जिसमें शिकायत के उल्लेखित समान आरोप लगाए गए थे इस आशय का कि प्रत्येक गोदाम में 15-20 लाख रुपये का सामान इफको

के परिसर में पड़ा हुआ था, और शिकायतकर्ता को इसे हटाने की अनुमति नहीं थी। उक्त मामले में पुलिस ने जांच के बाद शिकायत में लगाए गए सभी आरोप झूठे बताते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। रिपोर्ट का अंतिम भाग इस प्रकार हैः

> ''पिछले 6 महीनों से नोटिस के बावजूद कोई भी अपना बयान दर्ज कराने नहीं आया है। आवेदन झूठे तथ्यों पर दायर किया गया था और शिकायत फर्जी, और निराधार थी और खारिज किए जाने योग्य थी।''

22. जहां तक वर्तमान शिकायत का सवाल है, इसे धारा 415, 406 और 403 आईपीसी के तहत दायर किया गया है, जिसमें आरोप है कि उनका बिल 10.7.1996 को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अपेक्षित भुगतान रु. 22,81,530/- शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं किया गया। भुगतान के लिए उनका दावा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता से संबंधित कुछ वस्तुएं और दस्तावेज इफको के परिसर में पड़े थे और अनुरोध के बावजूद शिकायतकर्ता को वापस नहीं किए गए थे। इस मामले में संज्ञान लेने के बाद 16.7.2011 को धारा 403 और 406 आईपीसी के तहत समन जारी किया गया था, हालांकि धारा 415 आईपीसी के तहत मामला खारिज कर दिया गया था।

23. यह स्पष्ट है कि उक्त शिकायत में, मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। यह दिखाने के लिए तथ्यों का भी कोई खुलासा नहीं किया गया कि समान विषय वस्तु के संबंध में पहले की शिकायतों को उसी अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

24. मध्यस्थ द्वारा दिए गए फैसले की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई थी, जिसमें अंक संख्या 13 जो वर्तमान विवाद से संबंधित था, यानी कुछ सामग्री और दस्तावेज इफको के परिसर में रखे गए थे और उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया गया था। इस संबंध में दावा खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष पहले दायर की गई किसी भी रिट याचिका में या यहां तक कि उस मामले के लिए, इफको के समक्ष उक्त संस्था द्वारा दायर किए गए आवेदन में, इस तरह के दावे और इसकी अस्वीकृति का मध्यस्थ की नियुक्ति, या उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

25. प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इफको द्वारा किए गए कार्य की पूरी राशि हड़पने के लिए, इफको द्वारा धोखे से अनुबंध समाप्त कर दिया गया था और इफको ने सभी सामानों और वस्तुओं पर अवैध कब्जा कर लिया था। कंपनी को उसके

परिसर के भीतर स्थित होने के कारण, और चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अधिकारी आपराधिक विश्वासघात के दोषी थे और इसलिए, दंडित होने के लिए उत्तरदायी थे। हालाँकि, इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि पहले शिकायतें प्रतिवादी संख्या 2 सभा कांत पांडे के भाई द्वारा दायर की गई थीं। आगे यह स्वीकार किया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही अभी भी लंबित है, लेकिन साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि आपराधिक अभियोजन का मध्यस्थता पुरस्कार से कोई लेना-देना नहीं है।

26. मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किए बिना समन जारी किया था, हालांकि अपीलकर्ता उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। सीआरपीसी की धारा 202 के प्रावधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से संशोधन किया गया, जिससे उस प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना अनिवार्य हो गया जहां अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी क्षेत्र में रहता है। निर्दोष व्यक्तियों को बेईमान व्यक्तियों द्वारा परेशान किए जाने से बचाने के लिए इसे आवश्यक पाया गया और मजिस्ट्रेट के लिए मामले की स्वयं जांच करना या किसी पुलिस अधिकारी या उसके जैसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देना अनिवार्य बना दिया गया। ऐसे मामलों में समन जारी करने से पहले यह पता लगाना उचित है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं..... (शिवजी सिंह

बनाम नागेंद्र तिवारी और अन्य, एआईआर 2010 एससी 2261 और राष्ट्रीय बैंक ऑफ ओमान बनाम बराकरा अब्दुल अजीज एवं अन्य, जेटी 2012 (12) एससी 432)।

27. आईपीसी की धारा 403 में अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और आईपीसी की धारा 406 में अधिकतम 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 468 के प्रावधानों के अनुसार वह सीमा अवधि जिसके भीतर संज्ञान लिया जाना चाहिए तीन साल है तात्कालिक अपराध के मामले में, सीआरपीसी की धारा 469 के प्रावधानों के अनुसार, परिसीमा की अवधि अपराध की तारीख से शुरू होती है। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि, उक्त फर्म का दावा उच्च न्यायालय के दिनांक 25.5.2001 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 15.10.2001 के एक मौखिक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और उक्त आदेश पत्र दिनांक 29.10.2001 के माध्यम से सूचित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने अपराध की प्रकृति को सही ढंग से समझा और इसलिए, बाद में बकाया राशि की वसूली के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उच्च न्यायालय ने उसे पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते के तहत उपलब्ध उपाय अपनाने का निर्देश दिया। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, यह हमारी कल्पना से परे है कि इसमें शामिल अपराध को संभवतः निरंतर अपराध कैसे कहा जा सकता है। वास्तव में, उनके बकाया का भुगतान न करने के कारण होने वाली क्षति, यदि कोई

हो, कानूनी रूप से चलने योग्य है, जारी रह सकती है, लेकिन अपराध निश्चित रूप से नहीं है एक निरंतर अपराध, क्योंकि दिनांक 15.10.2001 के आदेश के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, भले ही इसके कारण होने वाला प्रभाव निरंतर प्रकृति का हो सकता है।

अरुण व्यास एवं अन्य बनाम अनीता व्यास, एआईआर 1999 एससी 2071, इस न्यायालय ने माना कि क्रूरता के मामले में, सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्रूरता का अंतिम कार्य होगा। रमेश और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2005 एससी 1989)।

28. किसी उचित कारण के लिए, या यहां तक कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए देर से अदालत का दरवाजा खटखटाना, हमेशा से ही इसे अस्वीकार करने का एक अच्छा आधार माना गया है। प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील द्वारा लिया गया आधार कि कार्रवाई का कारण 20.10.2009 और 5.11.2009 को उत्पन्न हुआ, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने पैसे और अन्य सामग्री, लेख और रिकॉर्ड वापस करने से इनकार कर दिया था, इसमें विचार करने लायक तथ्य नहीं है। यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है और उसे सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, और ऐसा आदेश पीड़ित व्यक्ति को सूचित कर दिया जाता है, तो बार-बार अभ्यावेदन करने से पक्षकार देरी की व्याख्या करने में सक्षम नहीं होगी।

29. रवीन्द्र नाथ बोस एवं अन्य में। बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1970 एससी 470, इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने एक अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के बारे में सूचित किया, उसके बाद के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार व्यवस्था दी- उनका कहना है कि सरकार को हर समय अभ्यावेदन मिलते रहे हैं। लेकिन समय की एक युक्तियुक्त सीमा होती है जिसे अभ्यावेदन देने के लिए उचित माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को देरी की व्याख्या करने में सक्षम नहीं किया जाएगा।

30. उड़ीसा राज्य वि. श्री प्यारीमोहन सामंतराय एवं अन्य, एआईआर 1976 एससी 2617 उड़ीसा राज्य आदि बनाम श्री अरुण कुमार पटनायक एवं अन्य। आदि, आदि, एआईआर 1976 एससी 1639 और स्वतंत्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एआईआर 1997 एससी 2105, एक समान दृष्टिकोण दोहराया गया है।

31. रवीन्द्र मठ बोस (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को श्री कृष्णा कोकोनट कंपनी आदि बनाम पूर्वी गोदावरी नारियल और तंबाकू बाजार समिति, एआईआर 1967 एससी 973, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य में अनुमोदित और पालन किया गया है। .

वी. के. थंगप्पन एवं अन्य, एआईआर 2006 एससी 1581 और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम दुगल कुमार, एआईआर 2008 एससी 3000।

32. किशन सिंह (मृत) में जरिए विधि वारिस बनाम गुरपाल सिंह और अन्य। एआईआर 2010 एससी 3624, इस अदालत ने आपराधिक मुकदमा शुरू करने में अत्यधिक देरी के एक मामले से निपटते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

> ''ऐसे मामलों में जहां एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है, अदालत को ऐसी देरी के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण की तलाश करनी होती है। ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में, देरी घातक हो सकती है। ऐसी कार्यवाही को रद्द करने का कारण केवल यही नहीं हो सकता है आरोप बाद में सोचे गए थे या घटनाओं का एक रंगीन संस्करण दिया गया था। ऐसे मामलों में अदालत को अपने सामने तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए क्योंकि एक निराश वादी जो सिविल कोर्ट के समक्ष सफल होने में विफल रहा, वह दूसरे को परेशान करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। दुर्भावनापूर्ण इरादों या दूसरे पक्ष पर प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य के साथ। दुखी और निराश वादियों को आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र का सस्ते में उपयोग

करके अपनी हताशा को उजागर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालती कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उत्पीड़न और उत्पीड़न के हथियार में तब्दील हो जाना। ऐसे मामले में, जहां एक निजी और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दूसरे पक्ष को परेशान करने और दूसरे पक्ष को लंबी और कठिन समस्याओं में फंसाने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है। आपराधिक कार्यवाही में, अदालत यह मान सकती है कि यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। (चंद्रपाल सिंह और अन्य बनाम महाराज सिंह और अन्य, एआईआर 1982 एससी 1238, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम च. भजन लाल और अन्य, एआईआर 1992 एससी 604, जी. सागर सूरी और अन्य बनाम . उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 2000 एससी 754, और जॉर्ज पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2008) 12 एससीसी 531)''

33. त्वरित अपीलें पूरी तरह से किशन सिंह (सुप्रा) में की गई टिप्प्पणियों से आच्छादित हैं और इस प्रकार, कार्यवाही को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से ज्यादा कुछ नहीं माना जाना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, के संबंध में उसी विषय वस्तु को

अधिनियमित करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 और उसके भाई द्वारा पहले ही विभिन्न शिकायत मामले दायर किए गए थे, जो गवाहों की जांच के बाद गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिए गए थे। ऐसी तथ्य-स्थिति में, 31.5.2001 को दायर शिकायत प्रकरण संख्या 628/2011 पोषणीय नहीं था। इस प्रकार, संबंधित मजिस्ट्रेट ने उक्त मामले पर विचार करके गंभीर त्रुटि की, और गलत तरीके से संज्ञान लिया और अपीलकर्ताओं को समन जारी किया।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.3.2012 को रद्द कर दिया गया है और अतिरिक्त सी.जे.एम., इलाहाबाद के समक्ष लंबित शिकायत मामले संख्या 628/2011 की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।

के.के.टी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा कुमावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।